रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250910
CG-DL-E-26122023-250910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857] **नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945**
No. 857] **NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945**

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

क्रमांक 13/2/7/2015–पीएम/सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग धारा 66 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के उपबंधों एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विद्युत के आयात और निर्यात पर मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(1) यह विनियम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रास बार्डर) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ और निर्वचन**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

"(टीटी–ए) 'व्यवस्थापन नोडल एजेंसी प्रभार' या 'एसएनए प्रभार' से अधिदिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए पड़ोसी देशों में स्थित सहभागी इकाइयों द्वारा एसएनए को प्रति देय प्रभार है;**"**

अध्याय 5

प्रभारों का भुगतान और भुगतान सुरक्षा तंत्र

3. **मूल विनियम के विनियम 30 के खंड (2) में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 30 के खंड(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"30 पारेषण प्रभार और अन्य प्रभारों का भुगतान

(1) XXX

(2) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी अनुसूचित ऊर्जा पर 0.50 पैसा (आधा पैसा)/किलोवाट घंटा की दर से, पड़ोसी देशों में स्थित सहभागी इकाइयों से एसएनए प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। और इसके द्वारा किये जाने वाले प्रभारों के लिए उपयुक्त भुगतान सुरक्षा तंत्र तैयार करेगी।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./640/2023-24]

नोटः 1. मूल विनियम 08.03.2019 को भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 160 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

AMENDMENT

New Delhi, the 15th December, 2023

No. 13/2/7/2015-PM/CERC.—In accordance with the provisions of Section 178 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) read with Section 66 thereof and the Guidelines on the import and export of Electricity issued by the Ministry of Power, Government of India, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations:

1. **Short Title and Commencement**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (**Cross Border Trade of Electricity**) (**First Amendment**) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions and Interpretation**

(1) In these regulations, unless the context, otherwise requires:

"(tt-A) '**Settlement Nodal Agency Charge'** or '**SNA Charge'** means the charge payable to the SNA by the **participating entities located in the neighbouring countries**, for discharging the mandated functions;"

CHAPTER-5

PAYMENT OF CHARGES AND PAYMENT SECURITY MECHANISM

3. **Amendment to Clause (2) of Regulation 30 of the Principal Regulations**

(1) Clause (2) of Regulation 30 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"30 **Payment of Transmission charges and other charges**

(1) XXX

(2) Settlement Nodal Agency may recover from the participating entities located in the neighbouring countries SNA charge of 0.50 paisa (Half paisa)/kWh on the energy scheduled, and shall formulate a suitable payment security mechanism for the charges to be collected by it."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./640/2023-24]

Note: 1. Principal Regulations were published on 08.03.2019 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 160.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA